REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052024-254190 CG-DL-E-14052024-254190

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1891] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 14, 2024/वैशाख 24, 1946 No. 1891] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 14, 2024/VAISAKHA 24, 1946

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2024

**का.आ. 1984(अ).**—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम,1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1426(अ), दिनांकित 5 मई, 2017 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमश: कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों के लिए:-

रारा-23	रांची से गुमला खंड	किमी 2.900 से किमी 88.000
	(झारखंड राज्य में)	

क्रमश: कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:-

रारा-23 (नया रारा-43)	रांची से गुमला खंड	किमी 2.90 से किमी 88.600
	(झारखंड राज्य में)	

[फा. सं. एनएच-14013/2/2024-पी एंड एम]

अभय जैन, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1426(अ), दिनांकित 5 मई, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था।

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2024

**S.O. 1984(E).**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1426(E), dated the 5<sup>th</sup> May, 2017, namely:-

In the Table to the said notification, for the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively:-

NH-23Ranchi to Gumla Section (In the State of Jharkhand)	Km. 2.900 to Km. 88.000
---	-------------------------

the following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively, shall be substituted:-

NH-23 (New NH-43)	Ranchi to Gumla Section (In the State of Jharkhand)	Km. 2.90 to Km. 88.600
-------------------	--	------------------------

[F. No. NH-14013/2/2024-P&M]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 1426(E), dated the 5<sup>th</sup> May, 2017.

### अधिसूचना

# नई दिल्ली, 14 मई, 2024

का.आ. 1985(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन तत्समय प्रभावी नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका (2)(3)(1)"10 रारा सं. 23 [किमी 0.000 से किमी 81.200 (चास - रामगढ़ खंड) और किमी 2.90 से किमी 88.600 झारखंड राज्य (रांची – गुमला खंड) को छोड़कर], सं. 75 [किमी 0.000 से किमी 259.000 (रांची-नगर उतारी खंड) सरकार तक को छोड़कर]. सं. 75 का विस्तार, सं. 78, सं. 98 [किमी 23.284 से किमी 57.049 (औरंगाबाद का हरिहरगंज – शिलडाग खंड – परवा मोड़ खंड) तक को छोड़कर], सं. 99, सं. 100, नई रारा सं. 114ए [किमी 85.081 से किमी 130.240 (बासुकीनाथ – देवघर खंड) तक को छोड़कर], नई रारा सं. 133 [किमी 41.900 से किमी 93.000 (महागामा – हंसदीहा खंड) तक को छोड़कर], नई रारा सं. 43, नई रारा सं. 133ए, नई रारा सं. 143ए, नई रारा सं. 143बी, नई रारा सं. 218, नई रारा सं. 220, नई रारा सं. 133बी, नई रारा सं. 143एजी (खुंटी से तमार खंड को छोड़कर), नई रारा सं. 320डी, नई रारा सं. 320जी, नई रारा सं. 333, नई रारा सं. 333ए, नई रारा सं. 343 और नई रारा सं. 419 के उतने भाग जो झारखंड राज्य में अवस्थित हैं।

[फा. सं. एनएच-14013/2/2024-पी एंड एम]

अभय जैन, उप सचिव

### 2

## **टिप्पण:** मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.-1762(अ), दिनांकित 16 अप्रैल, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

#### NOTIFICATION

#### New Delhi, the 14th May, 2024

**S.O. 1985(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

#### Table

(1)	(2)	(3)
"10	So much of National Highways No.23 [excluding from km. 0.000 to km. 81.200 (Chas-	State
	Ramgarh section) and from km 2.90 to km 88.600 (Ranchi- Gumla Section)], No.75	Government of
	[excluding from km. 0.000 to km. 259.000 (Ranchi-Nagar Utari section)], Extension of No.75, No.78, No. 98 [Excluding from Km. 23.284 to Km. 57.049 (Hariharganj-Shildag section of	Jharkhand"
	Aurangabad – Parwa More section), No.99, No.100, new NH No.114A [excluding from Km.	
	85.081 to Km. 130.240 (Basukinath- Deoghar section)], new NH No.133 [excluding from Km.	
	41.900 to km. 93.000 (Mahagama-Hansdiha section)], new NH No. 43, new NH No. 133A,	
	new NH No. 143A, new NH No. 143B, new NH No. 218, new NH No. 220, new NH No.	
	133B, new NH No. 143AG [excluding from Khunti to Tamar section], new NH No. 320D,	
	new NH No. 320G, new NH No. 333, new NH No. 333A, new NH No. 343 and new NH No.	
	419 as are situated within the State of Jharkhand.	

[F. No. NH-14013/2/2024-P&M]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

**Note :** The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4<sup>th</sup>August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1762 (E), dated the 16<sup>th</sup> April, 2024.